मुन्तकिली प्रकरण सं0 47/2014 हरदेव सिंह पुत्र तोता सिंह जाति तरखान निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–बलदेव कौर पत्नि दलीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 8के तहसील अनूपगढ़ 2– सुमित्रादेवी 3– लक्ष्मीदेवी 4–इन्द्रादेवी 5– तहसीलदार अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–3–2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड उपस्थित है। अप्राथीर्या बलदेव कौर के अभिभाषक श्री जे.एन. कौशिक व अप्रार्थीय इन्द्रोदेवी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीया बलदेव कौर व इन्द्रोदेवी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित अपील सं0 132/2012 अनवानी बलदेव कौर बनाम हरदेव सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ श्री एन.डी. मटई सेवानिवृत्त हो चुके है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

चूंकि यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र तत्कालीन अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ के न्यायालय में लंबित अपील सं0 132/2012 अनवानी बलदेव कौर बनाम हरदेव सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया गया था। अब चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ श्री एन.डी.मटई सेवानिवृत्त हो चुके है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी हरदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर